जिला परिषद, नवादा द्वारा बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती के नियम एवं शर्त्त

(1) जिला परिषद, नवादा द्वारा संचालित बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती खुले डाक द्वारा की जायेगी।

(2) डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि के पूर्व अग्रधन की राशि रोकड़पाल, जिला परिषद, नवादा के पास जमा कर मूल्य रसीद प्राप्त करने के पश्चात ही डाक में भाग ले सकते है।

(3) उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को बन्दोवस्ती की आधी राशि एवं बन्दोवस्ती राशि का 06%(प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क एवं 02%(प्रतिशत) निबन्धन शुल्क यानि कुल 8%(प्रतिशत) सहित कुल राशि दुसरे दिन बी0डी0 (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से जमा करनी होगी। जमा नहीं करने की स्थिति में क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय डाक वक्ता से **Negotiate** किया जायेगा।

बन्दोवस्ती के शेष बची आधी राशि दिनांक–01.12.2019 को बी0डी0 (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से बन्दोवस्तधारक को जमा करना होगा। जमा नहीं किये जाने की स्थिति में बन्दोवस्ती की राशि वसूली हेतु निलाम पत्र वाद एवं अन्य कार्रवाई की जायेगी।

(4) अत्याधिक स्पर्धा होने पर जैसे–जैसे डाक की राशि बढ़ेगी वैसे–वैसे अनुपातिक राशि जमा करने के पश्चात ही डाकवक्ता आगे बोली बोल सकेंगें।

(5) किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था, प्राकृति आपदा, वाहन हड़ताल तथा अन्य स्थानीय कारणों से हानि की स्थिति में बन्दोवस्ती की राशि में किसी तरह की छूट अथवा क्षतिपूर्ति करने का दायित्व जिला परिषद् पर नहीं होगी।

(6) जिला परिषद् का पूर्व बकायादार डाक में भाग नहीं ले सकेंगें। पूर्व बकायेदार डाक प्रारम्भ होने के पूर्व बकाया राशि जमा कर प्राप्ति रसीद के साथ डाक में भाग ले सकेंगें।

(7) उच्चतम डाक की पूरी राशि निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करने पर अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी एवं आवेदकों के साथ क्रमानुसार यह प्रक्रिया लागु रहेगी। तथा द्वितीय वक्ता/तृतीय वक्ता के साथ बन्दोवस्ती की कार्रवाई की जायेगी।

(8) नियम एवं शर्त्त के तहत बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती तथा एकरारनामा करने के बाद अन्य आवेदक का अग्रधन वापस कर दिया जायेगा।

(9) एकरारनामा/निबन्धन का खर्च बन्दोवस्तधारी को स्वयं वहन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर बन्दोवस्ती मान्य नहीं होगी एवं उच्चतम दूसरे डाकवक्ता के साथ बन्दोवस्ती कर दी जायेगी।

(10) निर्धारित चुंगी के अतिरिक्त राशि वसूली किये जाने पर 5000.00 (पाँच हजार) रूपये दंड के रूप में वसूलनीय होगी एवं डाकवक्ता का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

(11) बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती वर्ष 2019–20 की शेष अवधि (यानि दिनांक 01.10.2019 से 31.03.2020) तक के लिए की जा रही है।

(12) बिना कारण बताये बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पास सुरक्षित होगा।

(13) बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की सफाई एवं विधि व्यवस्था बन्दोवस्तधारी को स्वयं करना होगा।

(14) अपराधिक चरित्र के व्यक्ति के साथ बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती नहीं की जायेगी।

(15) उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को बन्दोवस्ती की आधी राशि एवं बन्दोवस्ती राशि का 06%(प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क एवं 02%(प्रतिशत) निबन्धन शुल्क यानि कुल 8%(प्रतिशत) सहित कुल राशि दुसरे दिन बी0डी0 (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि का समायोजन अंतिम किस्त की राशि मे किया जायेगा।

(16) इच्छुक व्यक्ति नियम एवं शर्त की जानकारी मो0 500.00 रूपये नगद जमा कर जिला परिषद कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

(17) यदि सफल डाकवक्ता डाक के समय बोली गयी उच्चतम डाक की राशि की आधी राशि एवं बन्दोवस्ती राशि का 06%(प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क एवं 02%(प्रतिशत) निबन्धन शुल्क यानि कुल 8%(प्रतिशत) सहित कुल राशि दुसरे दिन बी0डी0 (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से जमा करने में असफल होंगे तो उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन राशि को जब्त कर ली जाएगी एवं द्वितीय अधिकतम डाकवक्ता के साथ सैरात की बन्दोवस्ती पर विचार किया जा सकता है।

(18) जिला परिषद् द्वारा चुंगी वसूली करने के लिये निम्नलिखित दर है :–

बस एवं टैक्सी पड़ाव बुधौल एवं बस पड़ाव सं0 3 नवादा की चुंगी वसूली दर

Chungi Dar

(18) जिला परिषद् द्वारा चुंगी वसूली करने के लिये निम्नलिखित दर है :–

बस एवं टैक्सी पड़ाव बुधौल एवं बस पड़ाव सं0 3 नवादा की चुंगी वसूली दर

1	बस	115.00
2	मिनी बस	70.00
3	टाटा मैक्सी	60.00
4	जीप	35.00
5	टेम्पो	10.00

बस एवं टैक्सी पड़ाव धमौल की चुंगी वसूली दर

1	बस	55.00
2	मिनी बस	50.00
3	टाटा मैक्सी	30.00
4	जीप	20.00
5	टेम्पो	10.00

दैनिक चुंगी वसूली बाजार पकरीबरावाँ

1	ठेला	5.00 प्रतिदिन
2	सब्जी बिक्रेता	10.00 प्रतिदिन
3	फुटपाथ बिक्रेता	5.00 प्रतिदिन
4	फूल बिक्रेता	5.00 प्रतिदिन
5	मछली बिक्रेता	10.00 प्रतिदिन
6	झुग्गी झोपड़ी	5.00 प्रतिदिन
7	गुमटी	10.00 प्रतिदिन

26/8/19.

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, नवादा।

ज्ञापांक –382/जि0परि0 नवादा दिनांक –31-8-19

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी नवादा को सूचनार्थ प्रेषित, अनुरोध है कि जिला परिषद, नवादा के नियम एवं शर्तो को जिले के वेवसाईट **www.nawada.bih.nic.in**पर प्रकाशित किया जाय।

26/8/19.

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, नवादा।

ज्ञापांक –382 /जि0परि0 नवादा दिनांक –31·8-19

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, नवादा/रजौली, जिला अभियंता, जिला परिषद, नवादा/जिला जनसम्पर्क पदा0, नवादा/कार्यपालक पदा0, नगर परिषद, नवादा/सभी प्रखण्ड विकास पदा0/सभी अंचलाधिकारी, जिला –नवादा को सूचनार्थ एवं जानकारी हेतु कार्यालय के नोटिश बोर्ड पर प्रदर्शन हेतु प्रेषित ।

26/8/19.

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, नवादा।

ज्ञापांक –382 /जि0परि0 नवादा दिनांक –31·8·19

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, नवादा/पुलिस अधीक्षक, नवादा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

26/8/19.

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, नवादा।